रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 455] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 22, 2006/भाद्र 31, 1928
No. 455] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 22, 2006/BHADRA 31, 1928

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2006

सा.का.नि. 590(अ).—राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी निधि नियम, 2006 के नाम से कतिपय नियमों का निम्नलिखित मसौदा, जिन्हें केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 31 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाना चाहती है, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि की समाप्ति पर अथवा उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

2. ऐसे सभी आक्षेपों या सुझावों पर जो उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हों, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

3. ऐसे आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकते हैं।

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी निधि नियम, 2006 है ।

(2) ये ..... को (अंतिम प्रकाशन में अधिसूचित की जाएगी) प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी निधि अधिनियम, 2005 (2005 का 42) अभिप्रेत है;

(ख) "निधि" से धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी निधि अभिप्रेत है ;

(ग) "मंत्रालय" से भारत सरकार में ग्रामीण विकास मंत्रालय अभिप्रेत है ;

(घ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;

(ङ) ऐसे सभी अन्य शब्दों और पदों का, जो इनमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो अधिनियम में क्रमशः उनका है ।

3. **निधि लेखा** - (1) मंत्रालय द्वारा निधि लोक लेखा में रखी जाएगी ।

(2) निधि लेखा मंत्रालय के नाम से होगा ।

4. **निधि का उपयोग** - (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा निधि का उपयोग अधिनियम के कार्यान्वयन पर व्यय में केन्द्रीय सरकार के हिस्से को चुकाने के लिए किया जाएगा जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान और केन्द्रीय रोजगार गारन्टी परिषद् के व्यय भी हैं ।

(2) यह आवश्यक नहीं है कि इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में मंत्रालय के प्रशासनिक, मानीटरी और प्रशिक्षण व्यय भी इस निधि से पूरे किए जाएं ।

5. **राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को निधि से अनुदान जारी करना** -

(1) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पूर्व, अधिनियम और राज्य रोजगार गारन्टी स्कीमों के कार्यान्वयन से संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों के सभी सचिव मंत्रालय को अपनी वार्षिक कार्य योजना और श्रम बजट प्रस्तुत करेंगे ।

(2) राज्य सरकारें और संघ राज्यक्षेत्र अपनी वार्षिक कार्य योजना और श्रम बजट में अधिनियम की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कार्यों से भिन्न किसी कार्य के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेंगे ।

(3) मंत्रालय प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 31 जनवरी को या उससे पहले उसे प्राप्त प्रस्तावों की जांच कर सकेगा और अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के कार्यपालन का पुनर्विलोकन कर सकेगा तथा निधि से राज्य सरकारों को जारी किए जाने वाली रकम मंजूर कर सकेगा ।

(4) राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को निधियां मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों के अनुसार जारी की जाएंगी ।

(5) मंत्रालय आपात आवश्यकताओं को पूरा करने और विहित औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण निधियों की अस्थाई कमी को पूरा करने के लिए, उतना अग्रिम दे सकेगा जितना निधियों के नियमित जारी किए जाने तक जिलों, राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए आवश्यक समझे और ऐसे अग्रिम नियमित जारी की जाने वाली रकम में समायोजित किए जाएंगे ।

(6) राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी निधि से धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन राज्य रोजगार गारन्टी निधि को मंजूर की गई रकम सीधे जारी की जा सकेगी ।

(7) राज्य रोजगार गारन्टी निधि और जिलों, ब्लॉक और ग्राम पंचायत को राज्य रोजगार गारन्टी निधि से रकम जारी करने के लिए नियम संबद्ध राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जा सकेंगे ।

(8) राज्य रोजगार गारन्टी निधि पृथक बैंक खाते में रखी जाएगी जो समाप्त न होने वाली होगी ।

(9) यदि निधियां राज्य रोजगार गारन्टी निधि को जारी की जाती हैं तो राज्य सरकार या कोई अन्य प्राधिकारी मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अनुदानों पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

(10) मंजूर की गई रकम निधि से अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर पर पृथक बैंक खाते में सीधे जारी की जा सकेगी जो समाप्त न होने वाली होगी ।

(11) निधियां जारी करने के संबंध में विनिश्चय मंत्रालय द्वारा संबद्ध राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र के परामर्श से किया जाएगा ।

6. निधि से केन्द्रीय रोजगार गारन्टी परिषद् को अनुदान जारी करना -

(1) केन्द्रीय रोजगार गारन्टी परिषद् को, परिषद् को समनुदेशित कृत्यों के संबंध में व्ययों को चुकाने के लिए प्रत्येक वर्ष अनुदान दिया जाएगा जो प्रारंभ में पांच करोड़ रुपए की राशि का होगा ।

(2) परिषद् इस प्रकार दी गई निधियों के लिए अनुसूचित बैंक में बैंक खाता रखेगी और परिषद् द्वारा विरचित नियमों के अनुसार व्यय उपगत करेगी ।

(3) परिषद् को अनुदान पूर्ववर्ती वर्ष की संपरीक्षा रिपोर्ट और पहले से जारी की गई रकम के कम से कम साठ प्रतिशत का उपयोजन प्रमाणपत्र दे दिए जाने के पश्चात् दिया जाएगा ।

(4) प्रत्येक वर्ष के अतिशेष बजट अनुदान को वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पूर्व निधि में अंतरित कर दिया जाएगा और वह निधि में आरक्षिती का गठन करेगा ।

7. **संपरीक्षा** - राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को निधि से जारी किए गए अनुदानों की संपरीक्षा नियंत्रक और महापरीक्षक द्वारा संबंधित महापरीक्षकों के माध्यम से की जाएगी । अंतरिम संपरीक्षा भारत सरकार के विभागाध्यक्ष (सचिव) की ओर से की जाएगी तथा मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा उसका पर्यवेक्षण और मानीटरी की जाएगी ।

[फा. सं. वी-28012/03/2005-06-इजीएस]

अमिता शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2006

G.S.R. 590(E).— The following draft of certain rules called the National Employment Guarantee Fund Rules, 2006 which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (c) of sub-section (2) of section 31 of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), is hereby published for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of 30 days from the date of publication of this notification in the Gazette of India;

2. All objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

3. Objections and suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Ministry of Rural Development, Government of India, Krishi Bhavan, New Delhi-110 001.

Draft Rules

1. **Short title and commencement.**-(1) These rules may be called the National Employment Guarantee Fund Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the ..... (will be notified in the final publication)

2. **Definitions.** - In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a)"Act" means the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005);

(b)"Fund" means the National Employment Guarantee Fund established under sub-section (1) of section 20;

(c) "Ministry" means the Ministry of Rural Development in the Government of India;

(e) "section" means a section of the Act;

(f) all other words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Account of the Fund. - (1) The Fund shall be maintained by the Ministry in a Public Account.

(2) The account of the Fund shall be in the name of the Ministry.

4. Usage of the Fund. – (1) The Fund shall be used by the Central Government to meet the Central Government share of expenditure on implementation of the Act including the grants to the State Governments and Union Territories and the expenses of the Central Employment Guarantee Council.

(2) It is not necessary that the administrative, monitoring and training expenditure of the Ministry in connection with the implementation of the programme is routed through the Fund.

5. Release of grants from the Fund to the State Governments and Union Territory Administrations.-

(1) Before the beginning of each financial year, all Secretaries of the State Governments and Union Territories concerned with the implementation of the Act and the State Employment Guarantee Schemes shall present their annual work Plan and labour budget to the Ministry.

(2) The State Governments and Union Territories may also in their annual work plan and labour budget submit proposals for any work other than the ones specified in Schedule I of the Act.

(3) The Ministry may examine the proposals received by it on or before the 31st of January of each financial year and review the performance of the States and Union Territories with respect to the implementation of the Act and sanction the amount to be released to the State Governments from the Fund.

(4) Release of funds to the State Governments and Union Territory Administrations shall be made in accordance with the directions issued by the Ministry from time to time.

(5) The Ministry may, in order to meet emergent needs and to meet the temporary shortage of funds on account of non-completion of prescribed formalities, give advances as it may consider necessary to the districts, States and Union Territories pending regular release of funds and such advances shall be adjusted against regular releases.

(6) The sanctioned amount may be released directly from the National Employment Guarantee Fund to the State Employment Guarantee Fund under sub-section (1) of section 21.

(7) The rules for State Employment Guarantee Fund and the fund-flow from State Employment Guarantee Fund to the Districts, Block and Gram Panchayat may be notified by the concerned State Government.

(8) The State Employment Guarantee Fund shall be maintained in a separate bank account which shall be non-lapsable.

(9) If the funds are released to the State Employment Guarantee Fund, the State Government or any other authority shall not create any encumbrance on the grants released by the Ministry.

(10) The sanctioned amount may also be released directly from the Fund to a separate bank account at the district level for the implementation of the Act, which shall be non-lapsable.

(11) The decision with respect to releases in regard to release of funds shall be taken by the Ministry in consultation with the concerned State Government and Union Territory.

6. Release of grants from the Fund to the Central Employment Guarantee Council –

(1) The Central Employment Guarantee Council shall be given a grant every year with an initial corpus of five crores of rupees in order to meet the expenses in connection with the functions assigned to the Council.

(2) The Council shall maintain a bank account in a Scheduled Bank for the funds so given and incur expenditure in accordance with the rules framed by the Council.

(3) The grants shall be given to the Council after audit report for the previous year and the utilization certificate for at least sixty per cent of the amount already released are furnished.

(4) The balance budgeted grant of each financial year shall be transferred to the Fund before the close of the financial year and shall constitute the reserve in the Fund.

7. **Audit.** - The grants released from the Fund to the State Governments and Union Territory Administrations shall be audited by the Comptroller and Auditor General through respective Auditor Generals. The internal audit shall be done on behalf of the Head of the Department (Secretary) to the Government of India and shall be supervised and monitored by the office of Chief Controller of Accounts.

[F. No. V-28012/03/2005-06-EGS]
AMITA SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.